

3-8/22

अधिवक्तागण उपस्थित। सान्ध्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्ध की गई। बहस अग्रपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली वारंते आदेश दिनांक 12/08/2022 को पेश हो

13-8/22

अधिवक्तागण उपस्थित। निबंध अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। निबंध अनुसार पचा डिफ्री जारी है। पचा डिफ्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को प्रेषित है। पत्रावली निवृत्ति होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफतर है।



उपजुड जज (अग्रपक्ष)
श्री करणपुर

